न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—311/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/311)

1. किस्तूरसिंह पुत्र श्री निम्बासिंह (निम्बासिंह उर्फ नीमसिंह पुत्र श्री पदमाजी)
2. परमेश्वर सिंह पुत्र श्री निम्बासिंह
3. गोपाल सिंह पुत्र श्री निम्बासिंह
   समस्त जाति रावत निवासी बलाड तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
4. श्रीमती लक्ष्मी उर्फ चेना पुत्री श्री निम्बासिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति रावत निवासी फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. पूरा उर्फ पूरणसिंह पुत्र श्री पदमाजी जाति रावत, निवासी कांकर का बाडिया (बलाड) तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. हरिसिंह पुत्र श्री निम्बासिंह
3. श्रवणसिंह पुत्र श्री निम्बासिंह
   समस्त जाति रावत निवासी बलाड तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2022 राजस्व वाद संख्या 89/2017(2017/00210).

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 04
4. रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—09.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2017(2017/00210) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए लेकिन दौराने वाद अभिभाषक प्रतिवादीगण/ अपीलांटस द्वारा न तो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात हिदायत पैरवी नहीं होना अंकित किया गया जिससे अपीलांटस के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं साक्ष्य वादी ग्रहण कर एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए वादी/रेस्पोडेंटस संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 30.8.2022 को स्वीकार फरमा कर प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित कर दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2017 (2017/00210) में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2022 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा मिथ्या कथनों पर वाद प्रस्तुत किया गया था क्योंकि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 कृषि कार्य करता था जबकि प्रतिवादी संख्या 1(अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट के पिता श्री निम्बा सिंह) हल्का पटवारी होकर राजकीय सेवा में था जिसे पैसे देकर जमीन खरीदी एवं स्वयं राजकीय सेवा में होने के कारण तत्कालीन समय में दोनों भाईयों के मध्य अत्यधिक प्रेम होने की वजह से विक्रय पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम निष्पादित कर दिया एवं खसरा नम्बर 2468/1 तथा 2043 भी आवंटन/नियमन रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम करवा दिया लेकिन मौके पर रेस्पोडेंट संख्या 1 तथा मृतक निम्बासिंह के वारिसान बहिस्सा बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रेमवश निष्पादित दस्तावेजों को नजरअंदाज कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया एवं अपीलांटस तथा श्री निम्बासिंह के शेष वारिसान के विरूद्ध अवैधानिक रूप से मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत दिनांक 30.8.2022 को स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति जारी करवा ली जो मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति के विपरीत होकर काबिज निरस्त योग्य हैं। प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष अभिभाषक नियुक्त किया गया था जिसके द्वारा आवश्यकता होने पर पक्षकार को बुलाने बाबत आश्वस्त कर रखा था लेकिन जवाब दावा भी बंद करवा दिया हिदायत पैरवी नहीं होना भी कथन किया जिस पर परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांटस को अदालती नोटिस जारी किया जाना न्यायोचित था लेकिन उनके द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि हिदायत पैरवी नहीं होने पर अदालती नोटिस जारी किए जाने बाबत स्पष्ट प्रावधान है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु को नजरअंदाज कर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2017(2017/00210) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए है– आरआरडी 1984 पेज 111, आरआरडी 2001 पेज 262 एच0सी, आरआरटी 2013 पार्ट–1 पेज 166 एच0सी0.

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र पेश कर कथन किए कि ग्राम बलाड पटवार हल्का बलाड तहसील ब्यावर में स्थित खसरा नम्बर 2022 रकबा 0–16–10, 2036 रकबा 00–11–00, 2068/2 रकबा 01–9–00, 2068/1 रकबा 00–1–10, 2043 रकबा 00–14–00 कुल रकबा 03–12–00 स्थित है। उक्त आराजी वादी की स्वयं की बनाई हुई आराजीयात है खसरा नम्बर 2468/1 व 2043 की आराजी को वादी ने काबिल काश्त बनाया तथा इन आराजीयात को काबिल काश्त बनाने में अपना काफी धन श्रम व समय खर्च कर राजस्व विभाग में नियमानुसार आवेदन कर भूमि प्राप्त को राजस्व विभाग ने खसरा नम्बर 2068/1 रकबा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी की भूमि प्राप्त को राजस्व विभाग ने खसरा नम्बर 2068/1 रकबा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी की भूमि कब्जे काश्त के आधर पर वादी के पक्ष में दिनांक 9.6.1984 को जरिए नामांतरकरण सख्या 233 के गैर खातेदारी में प्रदान की तत्पश्चात वादी गैर खातेदार से खातेदारान बना और आज दिन तक खातेदार चला आ रहा है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2043 रकबा 14 बिस्वा किस्म दांती पर भी वादी का पुराना कब्जा काश्त होने तथा इस भूमि की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

दांती तोडकर वादी ने काफी रूपए समय व श्रम खर्च कर इस भूमि को काबिल काश्त बनाया जिसके फलस्वरूप राजस्व विभाग द्वारा खसरा नम्बर 2043 को जरिए नामांतरकरण संख्या 302 के तहत वादी को गैर खातेदारी प्रदान की तत्पश्चात वादी इस भूमि का खातेदार बना जो आज दिन तक चला आ रहा है। भूमि खसरा नम्बर 2022, 2036, 2068/2 वादी की स्वअर्जित आय से खरीदी हुई भूमियां है जिनका दाखिल खारीज वादी के नाम काफी अर्सा पहले खुल चुका है। वादी वादग्रस्त आराजीयात का काबिज खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वादी के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का पूर्ण कानूनी टाईटल व वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी के पास है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का सग्गा भाई है, और उसकी नियत खराब है और प्रतिवादी संख्या 1 अपने लडके, पोते, पत्नि के साथ मिलकर वादग्रस्त आराजीयात को हडपना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने लडके पौते पत्नि के साथ मिलकर वादी से आये दिन लडाई झगडा मारपीट करता रहता है एवं वादी को ऐलानिया धमकी देते हैं कि या तो वादग्रस्त जमीने छोडकर गांव से भाग जाए वरना वादी को एवं वादी के परिवार को खत्म कर देगा। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारवालों ने वादी के साथ मारपीट की जिस बाबत अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर के यहां प्रतिवादी संख्या 1 व उनके परिवारजन के विरूद्ध फोजदारी मुकदमा विचाराधीन है तथा दिनांक 13.09.2001 को प्रतिवादी संख्या 1 व उसके लडके पोते व पत्नी ने वादी की उक्त वादग्रस्त आराजीयात में घुसकर वादी की फसल काट कर चुरा ले गये थे जिस बाबत दिनांक 13.09.2001 व 14.09.2001 को वादी ने ए०एस०पी० ब्यावर को शिकायत की थी किन्तु पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से वादी दिनांक 20.09.2001 को प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन के विरूद्ध इस्तगासा फौजदारी न्यायालय में पेश किया जिसको जांच हेतु पुलिस थाना ब्यावर सदर को भेजा गया तथा पुलिस द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं होने पर वादी व उसका भाई भैरा पुत्र पदमा ने एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 जाब्ता फौजदारी के तहत न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेते हुये दिनांक 10.10.2001 को मुकदमा दर्ज कर आदेश पारित करते हुये भूमि खसरा नंबर 2022, 2036, 2068/2. 2083, 2084, 2086, 2087, 1986, 1997, 1999, 2025, 2033/2, 1984, 1985 को विवादित माना और शांतिभंग होना पाया तत्पश्चात न्यायालय ने इन भूमियों को दिनांक 07.11.2001 को अन्तर्गत धारा 146 (1) जाब्ता फौजदारी के तहत कुर्क के तहत तहसीलदार ब्यावर को रिसीवर नियुक्त किया तथा उक्त प्रकरण विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार वालों की नियत खराब है और वह ऐनकेन प्रकारेण वादग्रस्त आराजी को हडपना चाहते है तथा वादी को वादग्रस्त आराजी पर काश्त करने से अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतू वादी ने न्यायालय में उक्त आशय का एक राजस्व वाद संख्या 66/01 तथा एक अस्थाई का प्रार्थना पत्र 50/01 न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध दिनांक 15.10.2001 को पेश कर किया। जिसमें न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को आगामी आदेश तक अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबंद किया। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी पर वादी के चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का पेश किया था। जिसको सुनवाई कर प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 05.03.2003 को रेसज्यूडिकेटा से बाधित एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पुनः पेश कर दिया। जिस पर न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 का रेसज्यूडिकेटा से बाधित प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी का वाद तहसीलदार ब्यावर को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाने की वजह से खारिज कर दिया। वादी को तहसीलदार ब्यावर को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये नया वाद करने के अधिकार प्रदान किये। अतः मौजूदा वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन को जरिये निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो वादी को असहनीय व अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादग्रस्त आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार है वादी ही वादग्रस्त आराजी का भोग,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपयोग हर तरीके से करने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। लेकिन दौराने वाद अभिभाषक प्रतिवादीगण/ अपीलांटस द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं साक्ष्य वादी ग्रहण कर एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए वादी/रेस्पोडेंटस संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 30.8.2022 को स्वीकार फरमा कर प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित कर दी गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष दृष्टिगत हुए कि ग्राम बलाड के खसरा नम्बर 2022 रकबा 00–16–00, 2036 रकबा 00–11–00, 2068/2 रकबा 01–09–00 में पूरा वल्द पदमा कौमा रावत सा0देह खातेदार दर्ज चला आ रहा है व खसरा संख्या 2068/1 रकबा 00–01–10, 2043 रकबा 00–14–00 वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के समय से गैर खातेदारी में दर्ज थी तत्पश्चात जमाबंदी संवत 2055–58 से खातेदारी अधिकार भी हासिल हुए व राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दर्ज भी किए गए। प्रदर्श 1 से खातेदारी अधिकार का अंकन होना भी स्पष्ट है। इस बाबत पत्रावली पर उपलब्ध **प्रदर्श 10** ग्राम बलाड की वर्किंग जमाबंदी संवत 2040–41–42 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 1 में विवादित खसरा संख्या 2043 रकबा 00–14–00 गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। **प्रदर्श 9** में अंकित विवादित खसरा संख्या 2068/1 रकबा 00–01–10 पूरा वल्द पदमा रावत गैर खातेदार दर्ज है। **प्रदर्श 8** में जिसके खाता संख्या 1621 में अंकित विवादित खसरा संख्या 2022 रकबा 00–16–10, 2036 रकबा 00–11–00, 2068/2 रकबा 01–09–00 पूरा वल्द पदमा कौम रावत सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है। **प्रदर्श 7** ग्राम बलाड की जमाबंदी संख्या 2043–46 के खाता संख्या 416 तथा **प्रदर्श 5** संवत 2047–50 के खाता संख्या 446 में तथा **प्रदर्श 3** संवत 2051–54 के खाता संख्या 505 में अंकित खसरा संख्या 2068/1 रकबा 00–01–10, 2043 रकबा 00–14–00 पूरा वल्द पदमा कौमा रावत सा0देह गैर खातेदार दर्ज है। **प्रदर्श 6** ग्राम बलाड की जमाबंदी संवत 2043–46 के खाता संख्या 170 तथा **प्रदर्श 4** जमाबंदी संवत 2040–50 के खाता संख्या 187 तथा **प्रदर्श 2** जमाबंदी संवत 2051–54 के खाता संख्या 204 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अंकित खसरा संख्या 2022 रकबा 00–16–10, 2036 रकबा 00–11–00, 2068/2 रकबा 01–09–00 पूरा वल्द पदमा कौमा रावत सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। **प्रदर्श 1** जमबांदी संवत 2055–58 के खाता संख्या 282 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अंकित खसरा संख्या 2022 रकबा 00–16–10, 2036 रकबा 00–11–00, 2068/2 रकबा 01–09–00, 2068/1 रकबा 00–01–10, 2043 रकबा 00–14–00 पूरा वल्द पदमा कौमा रावत सा0 देह खातेदार दर्ज है। इन सभी प्रदर्श के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा अपीलांट्स का विवादित आराजीयात बाबत किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित होना नहीं पाया जाता है व अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किए गए है। जिनमें उनका नाम विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज है या रहा हो। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी ना तो वह उपस्थित हुए व ना उनके द्वारा कोई जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जबकि राजस्व मण्डल द्वारा उभयपक्षों को दिनांक 23.12.2013 को अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए गए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के नोटिस भी विधिवत रूप से तामील करवाए गए। जब अपीलांट्स/प्रतिवादी नोटिस तामील के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया। जिसमें उनके द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलबध साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2017(2017/00210) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09/5/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाश:—रामचन्द्र, आर.ए.एस.

किस्तूरसिंह पुत्र श्री निम्बासिंह(निम्बासिंह उर्फ नीमसिंह पुत्र श्री पदमाजी) जाति रावत निवासी बलाड तहसील ब्यावर, जिला ब्यावर व अन्य।

बनाम

पूरा उर्फ पूरणसिंह पुत्र श्री पदमाजी जाति रावत, निवासी कांकर का बाडिया तहसील ब्यावर जिला ब्यावर व अन्य।

(अपील संख्या 311/2022 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,ब्यावर मुबर्खे 30 माह 08 सन् 2022 प्रकरण संख्या 89/2017(2017/210) बसनगानी पूरा उर्फ पूरणसिंह बनाम नीम्बा उर्फ नीमसिंह वगैरह)

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,राज0 काश्त0 अधि.

यह अपील ब तारीख 09 माह 05 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री अजीत सिंह राठौड,अभिभाषक अपीलांट,श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, रेस्पो संख्या 01, श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 04,रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 अनुपस्थित, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:—अपील अपीलांटस खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2017(2017/210) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2022 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक —. रूपये— —. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का— — अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 09 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते * अजमेर *

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील. प्राधिकारी
अजमेर
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलाट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	—		1.स्टाम्प वकालतनामा	—	
2.स्टाम्प वकालतनामा	—		2.स्टाम्प अर्जी	—	
3.इजराय हुक्मनामा	—		3.इजराय हुक्मनामा	—	
4.वकील फीस बाबत्	—		4.महनताना वकील	—	
मीजान	—		मीजान	—	

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner